रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 11 सितम्बर, 1989/20 भाद्रपद, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 11 सितम्बर, 1989

क्रमांक एल.एल.आर.-डी. (6) 13/89-लेजिस.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 7 सितम्बर, 1989 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा यथा अनुमोदित, हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 1989 (1989 का विधेयक संख्यांक 12) को वर्ष 1989 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित करते हैं।

राज कुमार महाजन,
सचिव (विधि)।

2256-राजपत्र/89-11-9-89—1,247.

मूल्य: 1 रुपया

1989 का अधिनियम संख्यांक 17

हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 1989

(राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 7 सितम्बर, 1989 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 16) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 1989 है ।

(2) यह जुलाई, 1989 के छठे दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 6 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 में,— 1976 16 ।

(क) उप-धारा (1) में "एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-धारा (2) में "दो हजार" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; और

(ग) उप-धारा (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 7 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) "विष" और "चूना" शब्दों के बीच "ब्लीचिंग पाउडर," शब्द और चिह्न अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) "दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 7-अ, 7-आ और 7-इ का अन्तः-स्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धाराएं 7-अ, 7-आ और 7-इ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"**7-अ. मत्स्य के मारने में प्रयोग किए जाने वाले डायनामाइट और अन्य विस्फोटक पदार्थ कब्जे में रखने के लिए दण्ड.**—यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में, नदी, नदिका, खड्ड, तालाब, झील, जलाशय, जिनमें मत्स्य पाई जाती हैं, क समीप, या आस-पास

या उसके किनारे पर मत्स्य मारन के प्रयोजन के लिए, डायनामाइट या कोई अन्य विस्फोटक पदार्थ पाया जाता है, तो वह जब तक समाधानप्रद रूप में यह स्पष्ट नहीं कर देता है कि उसने ऐसा डायनामाइट या विस्फोटक पदार्थ विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए अपने कब्जे या नियन्त्रण में रखा था, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

7-आ. प्रतिषिद्ध ऋतु में मछली मारने या पकड़ने के लिए दण्ड—इस अधिनियम की धारा 5 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे मौसम के दौरान, जिसमें धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा मछली मारना या पकड़ना प्रतिषिद्ध किया गया है, जाल से मछली मारता या पकड़ता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

1974 का 2 **7इ. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना.**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी भी बात के होते हुए, इस अधिनियम की धारा 6, 7, 7-अ और 7-आ के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।"

5. मूल अधिनियम की वर्तमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— अनुसूची का प्रतिस्थापन।

"अनुसूची

(धारा 10 देखें)

धारा 10 के अधीन कतिपय मत्स्य अपराधों के लिए प्रतिकर के रूप में स्वीकार्य अधिकतम राशि

विवरण	प्रतिकर के रूप में स्वीकार्य अधिकतम राशि
1	2
1. अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से छोटे फंदे वाले जाल से मछलियां पकड़ना।	पांच सौ रुपये।
2. अनुज्ञप्ति के बिना मछलियां पकड़ना	तीन सौ रुपये।
3. इस अधिनियम के अधीन विहित मानक से कम आकार या वजन की मछली मारना या पकड़ना या विक्रय या मारने, पकड़ने या विक्रय का प्रयास करना।	तीन सौ रुपये।
4. बन्द मौसम में प्रतिषिद्ध जाति की कोई मछली मारना या पकड़ना या विक्रय करना या मारने, पकड़ने या विक्रय का प्रयास करना।	तीन सौ रुपये।
5. नियम के अधीन अनुज्ञप्त से भिन्न किसी उपस्कर या ढंग से मछली पकड़ना या पकड़ने का प्रयास करना।	तीन सौ रुपये।
6. नियमों के अधीन अनुज्ञप्त दो या किन्हीं उपकरणों में से किसी एक समय पर दो से अधिक का प्रयोग।	तीन सौ रुपये।

1	2
7. मछली पकड़ते समय अनुज्ञापनधारियों द्वारा अनुज्ञापन न रखने वाले व्यक्तियों को अपने जाल से सहायता के लिए नियोजित करना या लगाना।	तीन सौ रुपये।
8. प्रतिषिद्ध जल क्षेत्रों में मछली पकड़ना या पकड़ने का प्रयास करना	तीन सौ रुपये।
9. किसी मछली के जिसका विक्रय इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रतिषिद्ध है, विक्रय या विनिमय के लिए रखना या अभिदर्शित करना।	तीन सौ रुपये।
10. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में मछली का निर्यात करना या निर्यात करने का प्रयास करना।	एक हजार रुपये।
11. विनिर्दिष्ट बाजार-मूल्य से अधिक मूल्य पर मछली का विक्रय करना या विक्रय करने का प्रयास करना।	चार सौ रुपये।
12. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (ट) के उल्लंघन में अनाधिकृत रूप से मछली पकड़ने का जलयान और उपकरण रखना।	चार सौ रुपये।
13. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (ठ) के उल्लंघन में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर मछली या मछली-उत्पादन का परिवहन करना या परिवहन करने का प्रयास करना।	चार सौ रुपये"।

निरसन और व्यावृत्तियां।

6. (1) हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 1989 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी, मानो कि, यह अधिनियम जुलाई, 1989 के छठे दिन को प्रवृत्त हो गया था।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।